IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिलाओं पर अत्याचार एक सामाजिक समस्या (घरेलू हिंसा के सम्बंध में)

शोधार्थी

प्रकाश कुमार हजाम

अर्थशास्त्र विभाग

M.A.,M.Phil

राँची विश्वविद्यालय, राँची

सांराश

यूं ते भारत का संविधान देश के किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी तरह का भेद–भाव की इजाजत नहीं देता है लेकिन समाज में लिंग के आधार पर महिलाओ के खिलाफ भेद–भाव बडे पैमाने पर व्याप्त है आज भी महिलाओं को समाज में दूसरे दर्जे का नागारिक समझा जाता है और महिलओं के खिलाफ हिंसा जारी है इसमें हत्या, धरेलू हिसा, दहेज प्रतड़ना ऑनर किंलिग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न बालातकर, भेद–भाव जैसे मामले लगातर बढ रहे है इसके अलाव शिक्षा स्वास्थ डायन प्रथा के नाम पर भी महिलओ के साथ अत्याचार होते रहा है महिलओ पर अन्तयाचार कोई आज की धटना नहीं है यह तो पूर्व से ही चली आ रही है। इसक प्रमाण इतिहास के विभिन्न पन्नों एवं पुरात्व विभाग के जानकारी अनुसार पर चलता है कि किस तरह महिलओं को शेषन किया जात था। महिलाएँ सिर्फ पुरूषो का मनोरंजन का साधन मात्र समझा जाता था चाहे जो भी धमे के महिलाएँ हो अगर धामिक वेदो देखा जाए तो उसमें भी महिलाएँ पर काफी हद तक पाबदी लगाई गई भी जैसा कि शिक्षा पुजा–पाठ और कई सारे पांबदी में रखा जाता था और न सिर्फ रखा जात था उस पर अत्याचर भी किया जाता है जिसका बंधन से आज भी बंधा हुआ है।

इस बंधन से निकलने का एक रास्ता शिक्षा ही है। क्यो कि ये सभी धटनाएँ शिक्षा, लाचारी के अभाव में उन्हें सहना पड़ रहा है और इतना ही नहीं इसके खिलाफ वे आवाज तक नही उठा पाई है और धुट–धुट कर जीने को हाबी हो गई है यह धटना सभी स्थानो सभी व्यक्ति चाहे वह अनपढ़ हो या पढ़ा लिख साभी कोई ये सारी धटनाऔ से महिलाओ का शोषन करते आ रहे है। इसमें छेड–छाड 2001 के अनुसार झारखण्ड में 297 और भारत में उपार मामले देखने को मिला रहा आकाडा 2010 एक पुरे भारत में 40613 मामले सारकरी रिकाडो के दिसख से दर्ज किया गया था इसी तरह बलात्कार मोन उत्पीडान लडकिओं की खरीदकर लाने वेश्यावृति अदि के मामले सामने आते रहे है।

इसमें कभी शिक्षा कि अति अवस्कत है जिसमें शिक्षा में कानुनी शिक्षा आति महत्वपुर्ण है क्योकि इसके अलाव से सारी धटनाएँ विधमान रहेगी। कानुनी शिक्षा के आधार पर महिलाएँ अपने शोषन को अच्छी तरह जान समझ सकती है और अवाज भी उठा सकती है और अपने हक के लिए लड़ भी सकती है

भारत को एक पुरूष प्रधान वेग की संज्ञा दी जाती है शयद यही कारण है कि भारतीय समाज में महिलाऐ दीर्धकाल से अवमानना उत्पीड़न, यातना एवं शोषण का शिकार रही है।

हालाकी भारतीय संविधान में महिलाओ की प्रास्थिति में सुधार के लिए अनेकानेक प्राबधान किए गए है किन्तु प्रगति उतनी उत्साहवर्धक नहीं है आज भी महिलाएँ धरेलु आपराधिक हिंसा का सिकार है भ्रुग हत्या, बलात्कार व्यपहरण अपहरन दहेज हत्या आदि स्वरूपों में हिंसा द्रष्टिगत होती है। भारतीय समाज में महिलओ के साथ दिन प्रतिदिन हिंसा बढती चली जा रही है जिनमें किसी महिला के साथ साथ परिवार के अन्दर होने वक्ति विभिन्न प्रकार की हिंसा जैसे–मारपीट शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न आदि प्रमुख है इसके अलावे महिला की इच्छा के विरूद्ध उससे शारीरिक सबंध बनाने की कोशिश करना, दहेज के लिए मारपीट करना तथा इसके लिए उसकी हत्या कर देना महिलाओं के प्रति हिसान्मक गतिविधियों को बढावा दे रहे है।

सदियो से बनी धारणाएँ एवं मानसिकता चलती चली आ रही है कि यह धरेलु हिंसा सबसे बड़ा कारण है बहुत सी चीजे देश के आर्थिक सामाजिक व सास्कृति ढॉचे से उत्पन्न होती है हमारी धामिर्क एवं सामंजवादी प्रवृजियो ने मनुष्य को हर क्षेत्र मे स्त्री से बड़ा बनाया है और स्त्रियों की मे मानसीकता बना दि गयी है कि उसे पुरुष के अधीन रहना है स्त्रियॉ विवाह से पहले अपने पिता तथा अपने भाई के अधीन रहती है और विवाह के बाद वे अपने पति के अधीन रहने लगगे है यह पित्रसगत्मक समाज की देन है महिलाओं को समाज में निम्न स्तर की प्राणी माना जाता है उसके अधिकारो का हनन किया जाता ह। इसलिए स्त्रियों को कमजोर तथा पुरूषो को साहसी माना जाता है स्त्रियों के स्वांतत्रत व्यक्तित्व को जीवन की आरंभ अवस्था में ही कुचल दिया जाता है।

केवल एक थप्पड़ लेकिन नही मार सकता याह वाक्य किसी फिल्म का मात्र एक डायलौग ही नही बल्कि विभिन्न समाजो की बदरंग हकीकत को भी उजागर करता है धरेलु हिंसा दुनिया के हर समाज में मौजुद है और जाने मन जाने सभी कोई इससे पिड़ित है। इस शब्द विभिन्न आधारो पर वर्गीकृत किया जा कसता है पति या पत्नी बच्चे या बुजुर्ग तथ ट्रासजेडरो के खिलाफ हिंसा के कुछ उदारण प्रत्यक्ष रूप से सामने है। पीड़िता के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियो में शारीरिक शोषण भावनात्मक शोषण मनोवैज्ञानिक दुर्व्यावहार या वंचितता अर्थिक र्शोषण गाली–गलौज, ताना मारना आदि सामिल है। धरेलु हिंसा न केवल विकाशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशो में भी बहुत प्रभवित है

सभ्य समाज मे हिंसा का कोई स्थान नहीं है लेकिन प्रत्येक वर्ष धरेलु हिंसा के जितने मामले सामने आते है वे एक चितनीय स्थिति को रेखांकित करते है हमार देश में घरो के बन्द दरवाजो के पीछे लोगो को प्रताड़ित किया जाता रहा हैयह प्रताड़ना कोई आज की नहीं है बल्कि यह युगो युगो से चलाआ रहा है यही कारण है कि घरेलु हिंसा सभी सामाजिक वर्गो लिंग नल और आयु समुहो को

पार कर एक पीठी से दुसरी पीठी के लिए एक एक पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है।

इस आलेख में घरेलू हिंस के कारणे समाज और बच्चो पर पडने वाले प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया जाएग।

धरेलु हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिलआ एवं बच्चे (18वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन पर संकट आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दु:ख एवं अपमान सहन करना पड़े इन सभी को घरेलु हिंसा के दायरे में शमिल किया जाता है।

घरेतु हिंसा के कारण

महिआओं के प्रति घरेलु हिंसा का मुख्या कारण मूर्खतपूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरूषो की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती है। विवाहेतर संबंधे में लिप्त होना ससुराल वालो की देखा भाल न करना कुछ मामलो में महिलओं में बॉझपन भी परिवार के सदस्यो द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है और तो और घरेलु हिंसा ही कई सारी स्मस्यो को जन्म भी देती है जिसमे दहेज प्रताड़ना बलात्कार यौन उत्पीड़न स्ती प्रथा वेश्भावृति आदि।

इसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

1. अशिक्षित होना
2. लिंग भेदभाव का होना
3. आत्मविश्वास की कमी का होना
4. आत्मनिर्भर ना होना
5. कानूनी जागरूकता ना होना
6. सामान्य अर्थिक स्थिति का निम्न होना
7. वितृसगानमक का होना
8. एक जुट की कमी

मरियम बेत्स्टर डिशीनरी के अनुसार

घरेलु हिंसा किसी पविार या घर के सदस्य को शारीरिक क्षति पहूचाना और इस व्यवहार को पुनः अम्यस्त तरीके से उपयोग करना है।

पुलिस

महिला वृद्ध अथवा बच्चो के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध के श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेतु हिंसा के अधिकांश मामलो में दहेज प्रताड़ना तथा अकारन मारपीट प्रमुख है।

राष्ट्रीय महिला आमोग

कोई भी महिला यदि पविार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रगड़ना से ग्रस्त हो तो वह घरेलु हिंसा की शिकार कहलाएगी ।

आधारशिला (एन.जी. ओ) परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपिट धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलु हिंसा की श्रेगी में आते है इसके अलावा लेगिंक हिंसा मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलु हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तरह अपराध की श्रेणी में आते है।

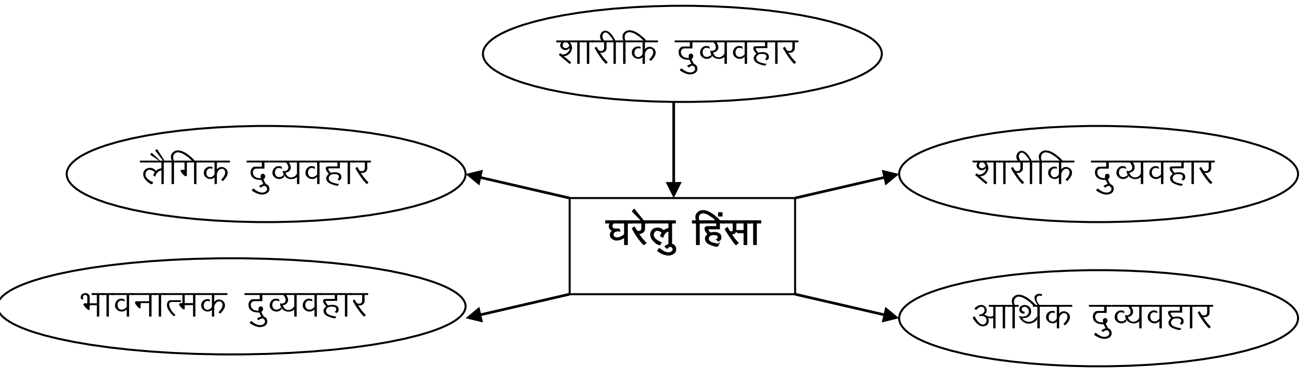

नयायमूर्ति डी. वाई चंद्रयूड एवं हेमंत गुप्ता की पीठ ने पानीपत सत्र न्यायधीश के निर्णय की पुष्ठि करने हुए घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 की पुनः व्याख्या की है।

- आकसफोर्ड शब्द कोष के अनुसार हिंसा का अर्थ हिंसात्मक अस्तित्व के गुण का होना हिंसात्मक अथवा हिंसा को कार्य क्षति या हानि शारीरिक शक्ति का अवैध या गैर कानूनी पयोग इसका प्रदर्शन के द्वारा डराना या धमकी दनेा।
- सामाजिक हिंसा जैसे पुत्र वधु को मादा भ्रुण हत्या के लिए बाध्य करना महिलाओं से छेड–छाड़ सम्पति से महिलाओं को हिस्सा न देना अल्पसंख्या विधक को सती होने के लिए बाध्य करना महिला को अधिक दहेज लाने के लिए बाध्य करना या सताना

घरेलु हिंसा अधिनिया से पहले विवाहित महिला के पास परिवार द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रगाड़ित किए जाने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क का के तहत शिकायत करने का प्रवधान था।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद धारा 498 क को जोड़ा गया।

यह एक गैर–जमानगी धारा है जिसके अन्तगर्त प्रतिवदियो की गिरफ्तारी में हो सकती है पर पीड़ित महिला को भरण पोषण अथवा निवास जैसे सुविधा दिए जाने का प्रावधान शमिल नहीं है जबकि धरेलु हिंसा कानून के अन्तगत प्रतिवादियो की गिरफ्तरी नही होती है लेकिन इसके अन्तगर्त पीड़ित महिला को भरण–पोषण निवास एवं बच्चों के लिए अस्थायी संरक्षण की सुविधा का प्रावधन किया गया है।

धरेलू हिंसा अधिनियम की धारा–3 के अनुसार धरेलू हिंसा परिवार में किसी भी महिला का कन्या के साथ पुरूष वर्ग को या महिला वगे के द्वारा किया जाने वाला हर ऐसा कार्य पारिवारिक या धरेलू हिंसा माना जाएगा जिसमें महिला या कन्या का जीवन मुश्किल हो जाए उसे मानसिक कष्ट हो उसके साथ अमानवीयता व अनैतिक आचरण या क्रुरता करना भी हिंसा माना जाएगा।

- एंगलस ने अपनी पुस्तक THe Origina of Family Private Property and State में यह स्वीकार किया है कि घर और से बाहर का क्षम विभाजन स्वभाविक है प्राकृतिक नियमों के अनुकुल है।
- माकर्स के सिद्वान के अनुसार शरीरिक संरचना स्त्री को व्यकिगत रूप से कमजोर बनाती है पर पूरे मानव समाज का विकास बाहर के वातवरण पर अधिक निर्भर है शारीरिक बनावट पर नही। स्त्री की पवित्रता हर सभ्य समाज की मान–मर्यादा से जुड़ी रही है पुरूष ही अपवित्र करने वाला और पुरूष ही दंड देने वाला स्वामी और अधिकारी है। पवित्रता सिर्फ शारीर की चमड़ी से जुडा विधान है इसका मन की पवित्रता से कोई सम्बध पुरूष प्रधान समाज नहीं माना गया है।
- रोमन साम्राज्य ने गुलाम प्रथा के जोर पकडनेके साथ ही गुलामो और स्त्रीयों को एक ही स्तर पर रखा जाने लगा था। ईश से 200 वर्ष पूर्व इसका सामूहिक विरोध प्रदशेन आरम्भ हुआ जिसके विरूद्र रोमन संसद में कहा गया कि औरत एक हिसक और काबू में ना आने वाला जानवर है।
- यूनिसेल और एमनेस्टी की रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीक के लगभग 20 देशे मध्यपूर्व एशिया और यूरोप के निकटवर्ती इलको में सुन्नत की तर्ज पर लड़की के गुप्तागो को विकृत कर देने की प्रथा आज भी जारी है। इन देशो में हर साल लगभग 20 लाख बच्चियो या स्त्रीयो को इस यातना से गुजरना पडता है इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि इस्लाम में धार्मिक कारगो से इसे जरूरी माना गया है। जबकि यह एक कुर प्रथा और प्रक्रिया है।
- पाकिस्तान में आज भी दो महिलओं की गवाही एक पुरूष के समान मानी जाती है तो वह उसी समाज में शरीत के कवावली कानून भी सरकारी संरक्षम मे जिंदा है। 70 फीसदी महिलाए ऐसे अपराधो में सजा काट रही है जिन्हे पुरूषो के सन्दर्भ में अपराध नही माना जाता है।
- हर्जेगोविन और खाडा में स्त्रीयो के यौन शोषण के आकडे चौकाने वाले है केन्या में सप्ताह में कम से कम एक मामला ऐसा आता है जिसमें महिला की हत्या पुरूष मित्र ही करता है।
- धर्म ग्रन्थो और सूत्र ग्रन्थो के अनुसार यदि पत्नी गृहकार्य निपूणता से नहीं करती है या अपने कर्तव्यो को आसवधानी पूर्वक करती है या पत्नी के आमरन से पति की प्रतिष्ठ को ठेसा पहुचती है तो पति उसे रस्सी से बॉस की खपच्ची से या हथेली से पीठ पर मारकर दण्ड दे सकता है।
- नारी को पूर्मत अविश्वश्नीय बतते हुए मनु कहते है कि एक भी निर्लेभी पुरूष साक्षी हो सकता है परन्तु बहुत सी स्त्रीर्या पवित्र होन पर भी बुद्वि की चपलता के कारन साक्षी नही हो सकती है वे गवाह बनने के लायक नही है।
- जैमनीय ब्राहमन मे नारी को दुःख का कारण माना गया

- चाणक्या द्वारा लिखा यगा है कि स्त्री चाहे जितना दान करे सैकडो व्रत उपवास रखे, सभी गीर्थो की यात्रा करे, वह पवित्र नही हो सकती केवल पति के चरण धोकर पीने से वह पवित्र होती है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में धरेलु हिंसा से उत्पीडोत बालक एवं बालिका के आर्थिक स्थिति एवं मानसीक स्थित बहुत बुरा है तथा इनकी स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है जिसके लिए आकड़ो का एकत्रीकरन के लिए पत्र–पत्रिकाओं, इंटरनेट पुस्तक आदि का प्रयोग किया जाएगा है। और समाज के प्रति जगरूकता का प्रभास किया जाएगा।

देश	घरेलु हिंसा
अमेरिका	6856884
भारत	5487580
ब्रजिल	1603055
रूप	680283
ब्रिटेन	401122
इटली	399506
चीन	90381

hhttps\\www.google.com 22Sep 2020

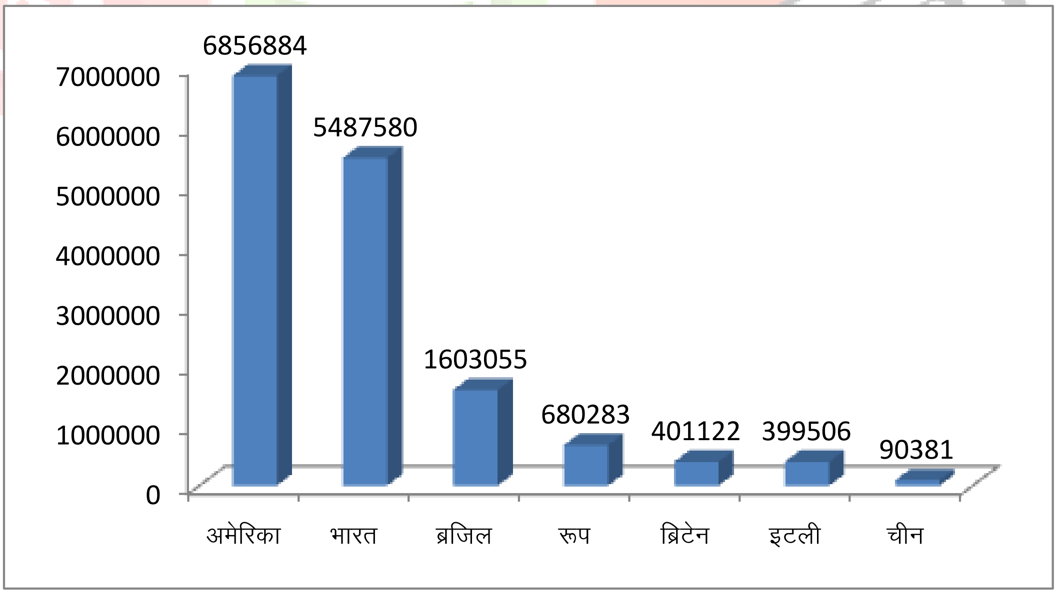

विकसित राष्ट्र है या विकाशिल विश्व भर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर महिलाएँ घरेलु हिंसा की शिकार नही है। मानव जाति का कोई भी अछुता नहीं है। पुरूषों ने संस्थाएँ संगठन समूह आदि बनाए उनके निमन निर्धारित किए। स्त्री इसमें केवल शामिल की गयी उनकी अपनी कोई परम्परा या नियम नही रहे जो नियम पुरूषो द्वारा निर्धारित किए गए उन्ही का अनुसरन करती चली

गयी अतः समाज में धीरे–धीरे पितृ सत्ता में अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी। समाजवादि विचारको और चिंतक द्वारा यह स्वीकार किया गया कि स्त्री की निम्न स्थिति या दमनीय स्थिति पूजिवादी व्यवस्था का ही परिणाम है।

बलत्कार

वर्ष	**झारखण्ड**	**भारत**
2001	567	16075
2005	753	18359
2010	773	22172
2019	1416	32033

Saurce– नेशनल क्राईम रिर्काड व्यूरो

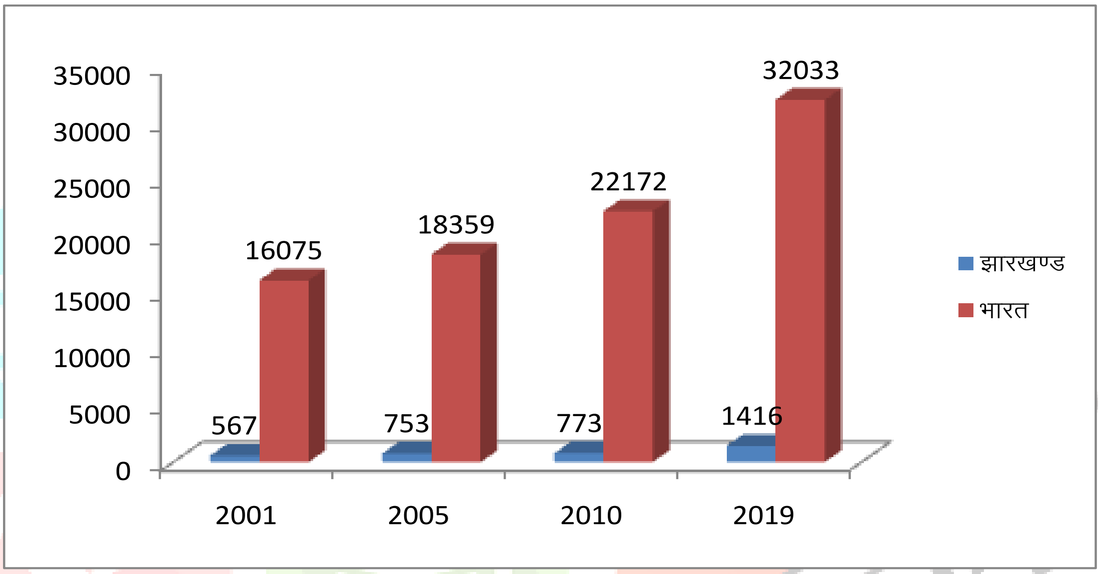

छेड़ छाड

वर्ष	झारखण्ड	भारत
2001	297	34124
2005	293	34175
2010	245	40613

Saurce–नेशनल क्राईम रिर्काड व्यूरा

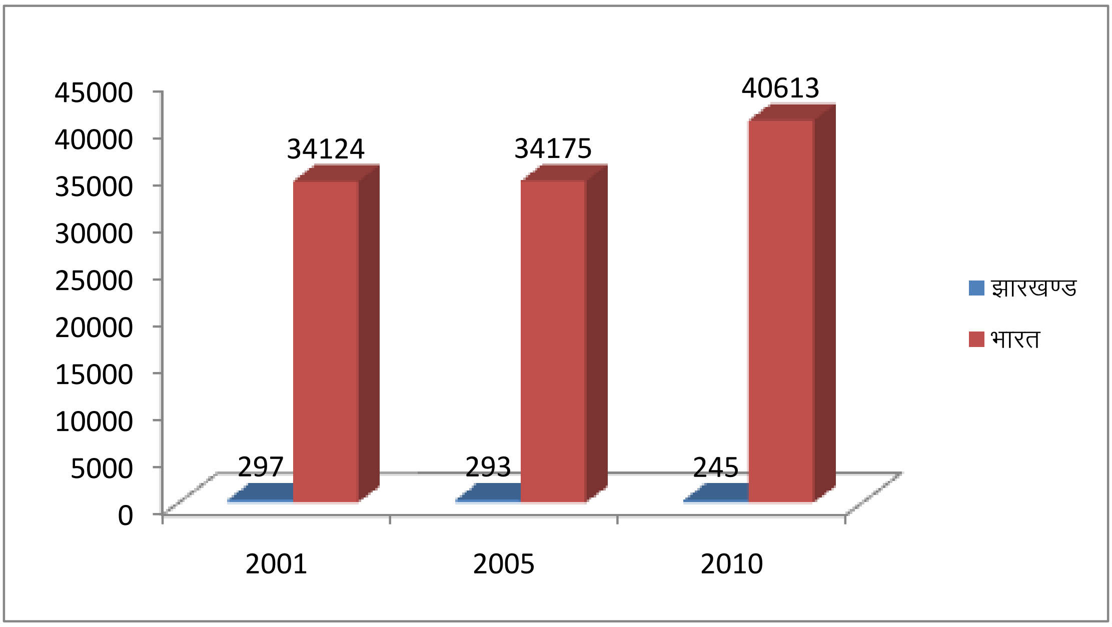

यौन उत्पीड़न

वर्ष	झारखण्ड	भारत
2001	05	9746
2005	36	9984
2010	16	9961

Saurce—नेशनल क्राईम रिकार्ड व्यूरो

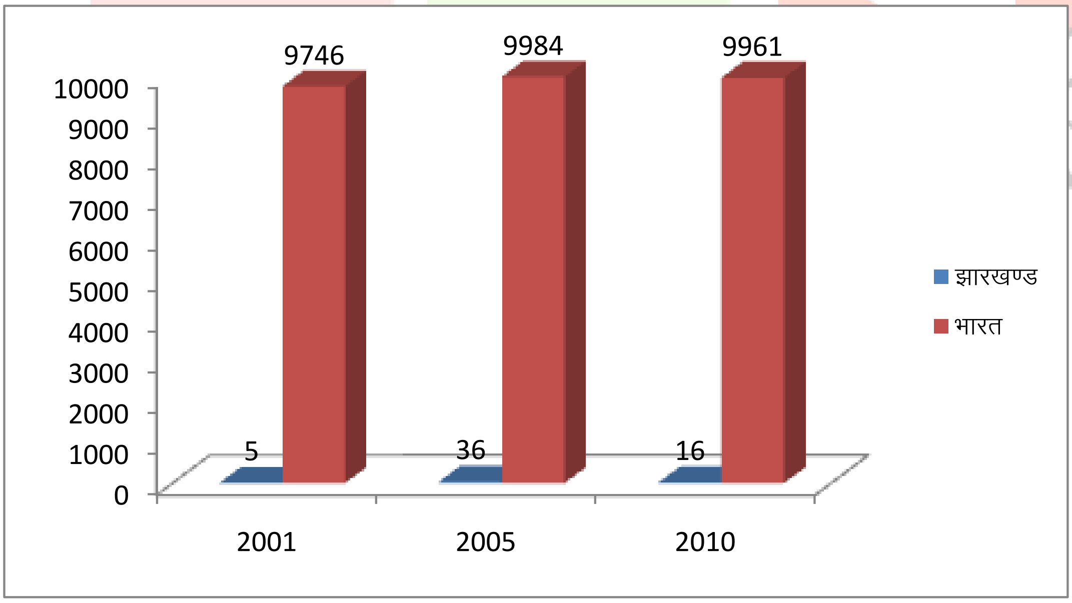

लड़कियो की खरीदकर लाने

वर्ष	झारखण्ड	भारत
2001	02	114
2005	04	149
2010	08	36

Saurce—नेशनल क्राईम रिकार्ड व्यूरो

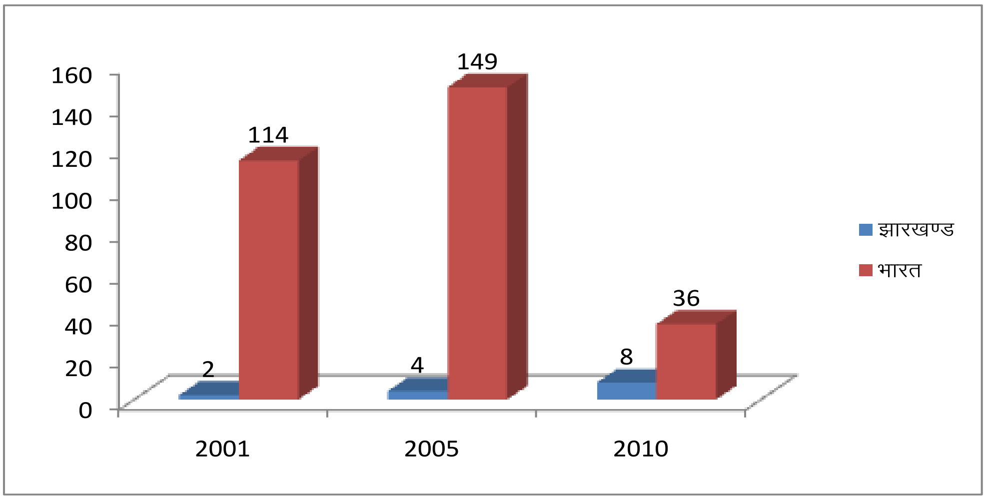

अपहरण

वर्ष	झारखण्ड	भारत
2001	297	14645
2005	283	15750
2010	696	29795

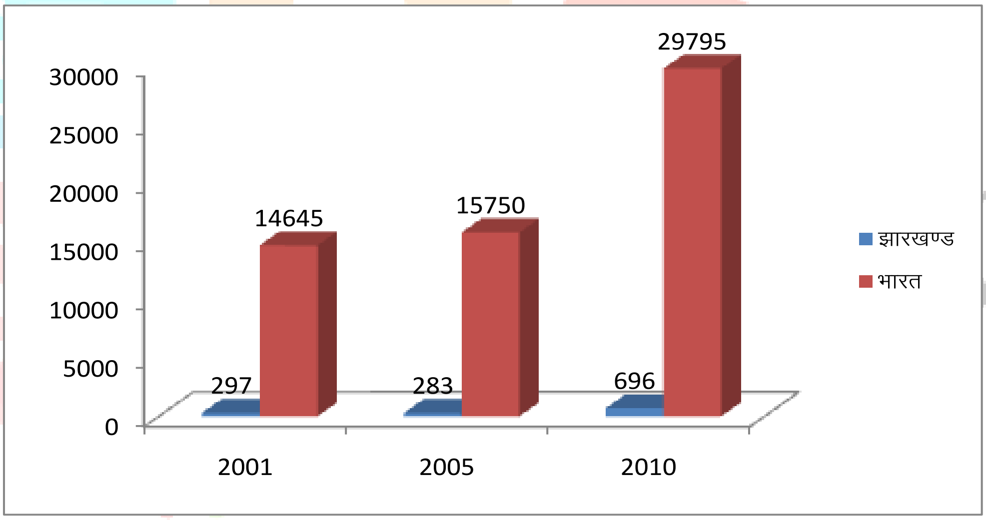

सबंधी/पति प्रताडना

वर्ष	झारखण्ड	भारत
2001	484	49170
2005	590	58319
2010	650	94041

Saurce*–*नेशनल क्राईम रिर्काड व्यूरो

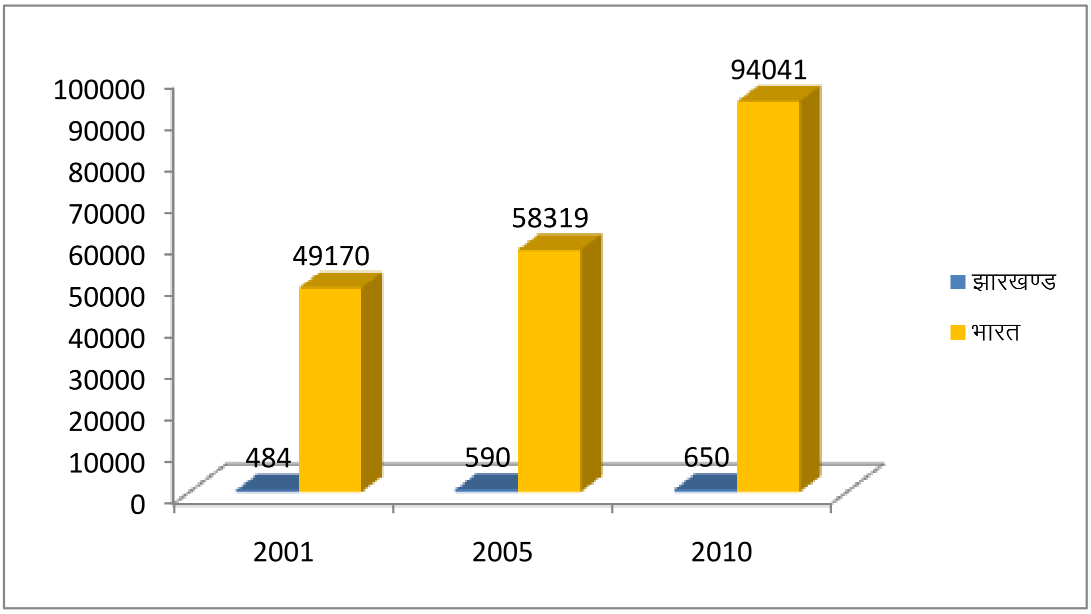

दहेज प्रताडन

वर्ष	झारखण्ड	भारत
2001	375	3222
2005	313	3204
2010	404	5182

Saurce—नेशनल क्राईम रिर्काड व्यूरो

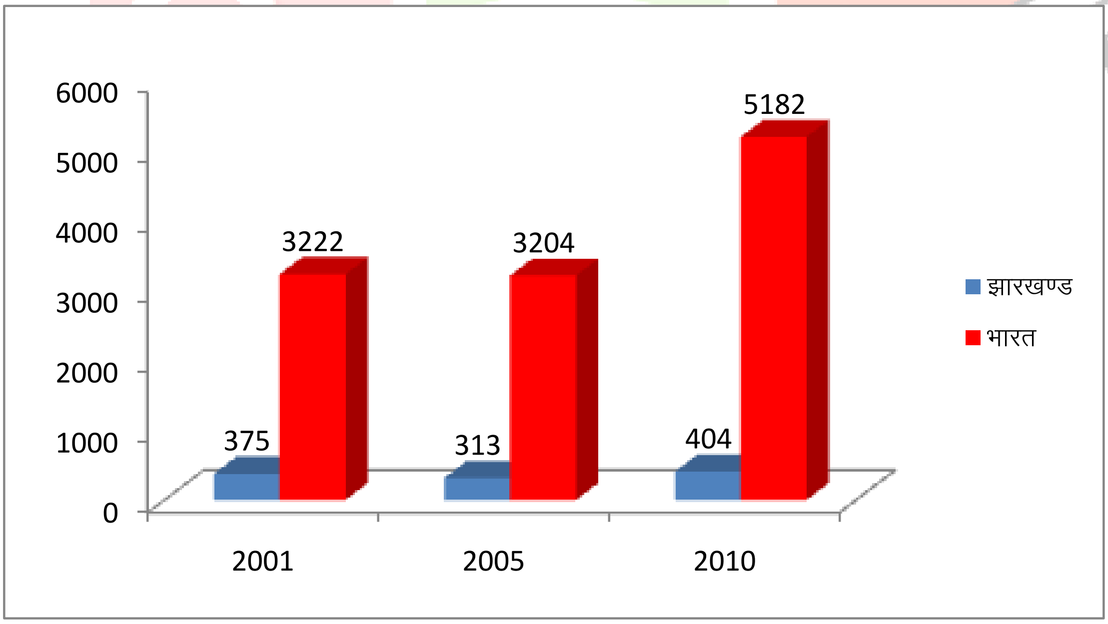

दहेज हत्या

वर्ष	झारखण्ड	भारत
2001	217	6851
2005	257	6787
2010	276	8391

Saurce—नेशनल क्राईम रिकॉड व्यूरा

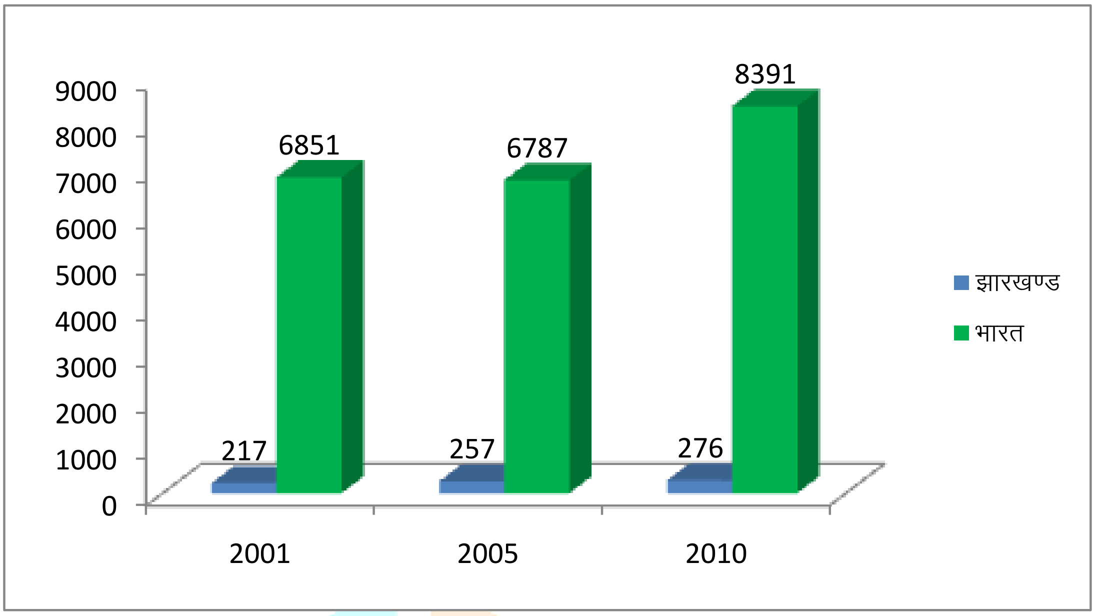

परिणाम – प्रस्तवित अध्ययन में घरेलु हिंसा से प्रतड़ित बालक एवं बालिका की अर्थिक एवं मानसिक स्थिति दमनीय है जिसके कारण लोगो को कई सारी समस्याओं से जुझना पडता है एवं वे उनका शिकार होते है। घरेतु हिंसा एक ऐसा अपराध है जो दिन के उजाले में भी कायम रहा है और इस अपराध से हर किसी को गुजरना पडता है चाहे वह पुरूष हो या मिहला दोनो को इस समस्या से जुझना पड़ता है

- समाज में एक नई किस्म के अपराध का जन्म होता है। इसमें शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति में फर्क अपराध में समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार है चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ है। सरकार से लेकर कानूनी सर भी इस अपराध उतना ही भागी दारी रखते है जितना एक आम व्यक्ति रखता है।
- नागरिक अधिनियम ँ क्ट। के पारित होने के 10 सालो में देश भर में पति द्वारा क्रुरता और दहेज से सवधित 10000000 से अधिक मामले दर्ज किए गए है वर्ष 2014 से छब्त्ठ द्वारा एकत्र पंजीकृत्र महिलाओं की आत्महत्या के मामलो में 34 फीसदी की व्रद्रि हुई है।
- यह अधिनियम महिलाओं के संबैधनिक एवं कानूनी अधिकारो के संरक्षन के लिए भारतीय संसद पारित किया गया है इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य महिलाओ को वस्तु हिंसा से बचाना व उनके संवेधानिक अधिकारो की रक्षा करना है।
- प्रतिवादी के किसी कार्य लोप या आपरन से है जिससे व्यक्ति व्यक्ति के स्वास्थय सुरक्षा जीवन या किसी अंग को हानि या नुकासान हो। इससे शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न लैगिक शोषण मौखिक और भावनात्मक शोधन व आर्थिक उत्पीड़न शामिल है। कथित व्यक्ति और उसके किसी सम्बधी को दहेज या किसी अम्य सम्पति की माप के लिए हानि या नुकसान पहुचान भी इसके अन्तर्गत आता है।
- घरेतु हिंसा के शिकार के रही महिला या संरक्षन अधिकारी या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

- भारतीय दण्ड संहित 1960 की धारा 498–। या दहेज निषेध अधिनियम 1916 के अन्तर्गत आरोप लगायाजा सकता है।
- न्यामिक मजिस्ट्रेट प्रथम या मेट्रेपोल्टिन मजिस्ट्रेट में करा सकता है।

निष्कर्ष

महिलाओ पर आदि काल से चल रहे घरेलू हिंसा को केवल शिक्षा एवं जागरू के द्वारा ही कम नही ब्लकि खत्म किया गया इस लिए जब घरेलू हिंसा जैसे शोषण खत्म हो सकते है तो क्या बालत्कार अपहरण दहेज हत्या आदि जैसे मामले कम नही हो सकता जरूर हो सकता है इसके लिए आम आदमी के साथ सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान की अवश्यकता है इसके लिए सरकार को सामान्य पढ़ाई के साथ कानूनी जान को भी समिल करना होगा जिससे लोगो में समझ एवं ज्ञान हो सकता है और इस प्रकार महिलाओं पर में घिनौने शोषण कम नही ब्लकि खत्म हो सकता है।

घरेलु हिंसा को कम करने के लिए लोगो जगारूक होना चाहिए और शिक्षा में कानूनी शिक्षा को भी शामिल करने से लोगो मे जागरूकता एवं समान आएगी इसके लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा तभी देश में घरेलु हिंसा पूरी तरह खत्म हो पाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. International nultidsciplinary Researen Jourral, Vol –5, Issue –5 NOV 2015.
2. https://www.alledueation Jourra;.com
3. https:\\www. drishtiics.com
4. झारखण्ड मानव अधिकार रपट –2001–2011
6. ऑकसफोर्ड शब्द कोष (हिन्दी –अंग्रेजी)
7. राम आहुआ, सामाजिक समस्याएँ मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 2004, पृष्ठ–239
8. कुयक्षेत्र, अप्रैल 2007, दिल्ली, पृष्ठ–16
9. www. hindosamay.com 19 Dec 2012
10. आमा अहुजा घरेलु हिंसा अधिकारो के प्रति जागरूवता, रीजनल पब्लिकेशन नई दिल्ली 2010, पृष्ठ–26
11. सुधारानी श्रीवास्तव महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपकार अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस जयपुर 2009 पृष्ट –46–51
12. unicet Repont, Innocent Digest June, 2000, NO 6, P–5
13. कुरूक्षेत्र मार्य 2005 वर्ष –15 अंक–5 पृष्ठ –3
14. रमगिक गुप्ता स्त्री विमेश ज्योतिलोक प्रकासन दिल्ली 2007, पृष्ठ–19,20
15. कल्पना राय, महिला और उनका वातावरण रजत पब्लिकेशन जयपूर–1994, पृष्ठ –881
16. प्रीति प्रभा गोयल भारतीय नारी विकास की ओर राजस्थान ग्रन्थागार जोधपुर 2009, पृष्ठ –41
17. hhttps://trnslate. googel leuscrcontemt.com
18. hhttps://www. google.com, 22 sep 2020

19. सिंह मीनाक्षी निशंत, महिला सशक्तिकरण का अंग महिला शिक्षा का सच घरो में पहली हिंसा ओमेगा पेज न0–28,108,109,110

20. hhttps／／www.archive.imdiaspendndhindi.com